न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—390/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00408)

1. मैसर्स मधुर स्टोन क्रेशर जरिये प्रोपराईटर राजीव गोयल पुत्र श्री मदन गोपाल गोयल, जाति महाजन निवासी प्लॉट नम्बर सी—3, दीपक मार्ग मोती डूँगरी रोड़, जयपुर।
1/1. मैसर्स मधुर स्टोन क्रेशर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि मदन गोपाल गोयल पुत्र स्व. श्री शिवसहाय गोयल आयु 80 वर्ष, जाति महाजन निवासी प्लॉट नम्बर सी—3 दीपक मार्ग मोती डूँगरी रोड़, जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. खनिज अभियन्ता (वसूली) खान एवं भू—विज्ञान विभाग, उधोग भवन तिलक मार्ग सी—स्कीम जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये सहायक अभियन्ता खान एवं भू—विज्ञान विभाग, राजस्थान उधोग भवन तिलक मार्ग, सी—स्कीम जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. **श्री संजय शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 27.12.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय खनि अभियन्ता (वसूली) खान एवं भू विज्ञान विभाग जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट फर्म मैसर्स मुधुर स्टोन क्रेशर राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1954 के तहत एक पंजीकृत स्वत्वधारी फर्म है जिसके स्वतत्वधारी (प्रोपराईटर) राजीव गोयेल पुत्र श्री मदन गोपाल गोयल है। मैंसर्स मुधर स्टोन क्रेशर को चेजा पत्थर क्रय कर उससे गिट्टी निमार्ण करने तथा गिट्टी एवं स्टोन डस्ट को विक्रय करने का वैधानिक अधिकार वाणिज्य कर विभाग एवं खान एवं भू—विज्ञान विभाग की सहमति एवं लाईसेन्स के आधार प्रदान किया गया जिसका पंजीयन क्रमांक 08421604653/आरएसटी 1420/04867 है एवं अपीलान्ट फर्म दिनांक 01.04.1999 के पश्चात् से अपने उक्त क्रेशर पर बाजार से खुला माल (चेजा पत्थर) क्रय कर उससे गिट्टी निमार्ण कर उसको विक्रय कर रही थी तथा नियमानुसार खान एवं वाणिज्य कर विभाग को समस्त संदाय अदा कर रही थी। उन्होने कथन किया है कि दिनांक 09.02.2001 को रेस्पोडेन्ट विभाग के एक कर्मचारी, अपीलान्ट की फर्म

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

क्रेशर पर आये तथा स्थल निरीक्षण कर उन्होने कच्चा माल क्रय करने के सम्बन्ध में चालू (वर्तमान) चालान बुक एवं विक्रय किये गये माल के सम्बन्ध में बिल बुक जो मौके पर मौजूद थी का निरीक्षण करके तत्समय मौके पर मौजूद श्री विनोद गोयल जो कि अपीलार्थी फर्म के स्वतत्वधारी राजीव गोयल के सहोदर भ्राता है की मौजूदगी दर्शाते हुए एक मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जबकि विनोद गोयल उक्त फर्म में ना तो भागीदार है अथवा ना ही वैतनिक या अवैतनिक कर्मचारी है लेकिन निरीक्षक ने उन्हे फर्म का प्रोपराईटर मानते हुये समस्त कार्यवाही को अपीलार्थी फर्म के वास्तविक लाभार्थी की अनुपस्थिति में सम्पादित कर उपने उच्चाधिकारियों को एकपक्षीय रिपोर्ट प्रेषित की गई है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि सहायक अभियन्ता खनिज ने उक्त एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर विनोद कुमार गोयल को दिनांक 28.02.2001 को खनिज आपूर्ति के सम्बन्ध में रिकार्ड प्रस्तुत करने हेतु लिखित सूचना जारी की जिसके द्वारा क्रेशर पर खनिज किस स्रोत से लाया जा रहा है तथा किन–किन खनन् पट्टो से आप द्वारा खनिज लिया जा रहा है स्थिति स्पष्ट करने हेतु आदेशित किया तथा यह भी निर्देश किया कि उपरोक्त विषयान्तर्गत अभिलेख उपलब्ध नही करवाने की स्थिति में यह माना जाकर कि अपीलार्थी द्वारा खनिज की आपूर्ति अवैध खनन करवाकर की गई है इसलिये एम.एम.सी.आर. अधिनियम 1986 की नियम 48 के तहत क्रेशर की क्षमता को आधार मानकर खनिज की कीमत की वसूली की जावेगी। रेस्पोडेन्ट द्वारा पुनः दिनांक 21.05.2001 व 04.01.2002 को उपरोक्त विषय में नोटिस जारी हुये, दिनांक 04.01.2002 को नोटिस जब अपीलार्थी को प्राप्त हुआ तो उसके द्वारा दिनांक 28.01.2002 को जवाब नोटिस एवं लिखित आपत्तियॉ रेस्पोडेन्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई किन्तु अपीलार्थी द्वारा समस्त तथ्य स्पष्ट करने के उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलार्थी फर्म के नोटिस जरिये श्री विनोद कुमार गोयल को ही पक्षकार बनाते हुये जारी किये तथा दिनांक 19.02.2002 को पुनः अपीलार्थी को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही 22,91,850/–रूपये की राशि बिना किसी आधार व कारण के दिनांक 09.02.2001 के निरीक्षण रिपोर्ट को आधार बताते हुये अधिरोपित कर उसकी सूचना श्री विनोद कुमार गोयल को दे दी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट्स के उक्त अवैध आदेश के विरूद्व श्री विनोद कुमार गोयल ने राजस्थान सरकार के समक्ष रिविजन पिटिशन फाईल की जिसमें रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाब एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर यह जाहिर किया गया कि अपीलार्थी फर्म ने उनके समक्ष कच्चा माल खरीदने एवं तैयार माल को बेचने तथा खनिज की रायल्टी चुकाने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की इसलिये रिविजन पिटिशन खारिज की जावें जिसमें उपशासन सचिव खान सचिवालय जयपुर ने श्री विनोद कुमार गोयल द्वारा प्रस्तुत रिविजन पिटिशन को दिनांक 07.12.2005 को यह कहते हुऐ निर्णित कर दिया कि आलोच्य आदेश राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत बकाया वसूली की कार्यवाही

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

हेतु पारित किया गया जिसके श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नही है और प्रकरण खारिज कर श्री विनोद कुमार गोयल को सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान कर दिया। दिनांक 07.12.2005 को पारित उक्त आदेश के पश्चात् चूँकि श्री विनोद कुमार के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई बकाया वसूली नही की जानी थी और ना ही श्री विनोद कुमार गोयल को उक्त फर्म मैसर्स मुधर स्टोन क्रेशर में कोई हित ही निहित नही था इसलिये उनके द्वारा कोई अग्रिम कार्यवाही भी नही की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही एकपक्षीय एवं अवैध व आधारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है तथा रेस्पोडेन्ट्स द्वारा ना तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 230 से 237 में वर्णित बाध्यकारी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की और ना ही धारा 48 आर. एम.एम.सी. के अधिनियम की धारा 48 के तहत ही विधि सम्मत कार्यवाही की है। विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विरूद्ध अपीलार्थी फर्म के विरूद्ध की गई उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही अवैध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट्स ने दिनांक 09. 02.2001 के जिस निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की है वह अपने आपमें अवैधानिक निरीक्षण है जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी ने अनेकों बार रेस्पोडेन्ट्स के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर नये सिरे से समस्त दस्तावेजात का निरीक्षण करने का प्रस्ताव किया लेकिन रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी के प्रस्तावों को अनदेखा करते हुए मनमर्जी से प्रश्नाधीन विक्रय की उद्घोषणा जारी की है जो कतई अवैध एवं आधारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय रेस्पाडेन्ट्स द्वारा पारित अवैध आदेश दिनांक 19.02.2002 निरस्त फरमाया जाकर उक्त आदेश के तहत कायम की गई राशि की वसूली हेतु प्रसारित विक्रय की घोषणा प्रपत्र दिनांक 16.03. 2017 निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी फर्म का नये सिरे से विहित प्रक्रिया के तहत पुनः निर्धारण करने तथा अपीलार्थी फर्म को ट्रांजिट पास प्रमाण पत्र जारी किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है तथा अपीलार्थी द्वारा नोटिस का जवाब पेश किया गया एवं अपीलार्थी द्वारा जारी रायल्टी राशि के मांग पत्र में से रूपये ढाई लाख मात्र जमा करवा कर उस बकाया को स्वीकार कर लिया गया इसलिये अपीलार्थी अब कोई कानूनी कार्यवाही करने का अधिकारी नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि सरकार की पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी व बकाया राजस्व वसूली को मात्र इस आधार पर रूकवाने का अपीलार्थी अधिकारी नही है कि सम्पत्ति अविभाजित सम्पत्ति है एवं संयुक्त परिवार की सम्पत्ति है, अपीलार्थी वादग्रस्त सम्पत्ति का मालिक है सरकार की पी.आर. आर. राजस्व वसूली पर कानूनन रोक नही लगाई जा सकती है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट ने कथन किया है कि अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से अपील स्वीकार योग्य नही है क्योंकि प्रश्नगत आदेशों की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 28.01.2002 व 04.05.2007 को ही थी तथा अपीलान्ट द्वारा प्रथम कुर्की आदेश दिनांक 26.05.2011 को ही जारी कर दिया था। अपीलान्ट द्वारा उक्त दिनांक 26.05.2011 तथा दिनांक 19.02.2002 क आदेश को चुनौती दी जानी चाहिये। इसलिये अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि वास्तविक तथ्य यह है कि मधुर स्टोन क्रेशर नाम से फर्म है। यह फर्म मैं मुधर स्टोर क्रेशन निकट ग्राम हरध्यानपुरा (कानोता) तहसील बस्सी जिला जयपुर में कार्यरत है तथा उक्त क्रेशर मशीन से कोई भी माल खान एवं भू–विज्ञान विभाग को शुल्क/रायल्टी अदा किये बिना नही बेचा जा सकता है तथा अप्रार्थी के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 09.02.2001 को उक्त स्टोन क्रेशर का निरीक्षण किया तो दौराने मौके पर श्री विनोद कुमार गोयल मिले उक्त विनोद कुमार गोयल ने अपने आपको मधुर स्टोन क्रेशर का मालिक बताया, निरीक्षण के दौरान मधुर स्टोन क्रेशर के बारें में विनोद कुमार गोयल को क्रेशर के अभिलेख पेश करने का कहा गया लेनिन उसके द्वारा कोई अभिलेख पेश नही किये गये इसके पश्चात् राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 69 के तहत अप्रार्थी कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 625 दिनांक 28.02.2001, पत्र क्रमांक 32 दिनांक 21.05.2001 पत्र क्रमांक 20 दिनांक 04.01.2002 के जरिये मैंसर्स मधुर स्टोन क्रेशर को नोटिस जारी किये गये परन्तु मै. मधुर स्टोन क्रेशर की ओर से कोई अभिलेख पेश नही किये गये इसलिये कार्यालय पत्रांक 85 दिनांक 12.02.2002 के द्वारा क्रेशर की वार्षिक क्षमता के आधार पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1956 के नियम 48 के तहत कार्यवाही हेतु मैसर्स मधुर स्टोन क्रेशर को लिखा गया परन्तु उसका भी कोई जवाब न आने पर विभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्र क्रमांक 97 दिनांक 19.02.2002 से रूपये 22,91,850/–रूपये की मांग कायम करते हुये उक्त राशि जमा कराने का आदेश जारी किया गया किन्तु अपीलान्ट राज्य सरकार की बकाया राजस्व की राशि अदा नही करना चाहता हड़प करना चाहता है मामले में स्वयं द्वारा व अपने भाई विनोद कुमार गयोल के द्वारा मिथ्या व गलत तथ्य पेश करके मामले को उलझाऐ रखना चाहता है तथा अपीलार्थी उसके सगे भाई विनोद कुमार गोयल व भाईयों ने आपस में षड़यंत्र रचकर रेस्पोडेन्ट के खिलाफ सन् 2002 से ही अलग–अलग अदालतों में सारहीन व मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रकरण दर्ज करवा कर राज्य सरकार के राजस्व की वसूली नही होने दी तथा राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुॅचाई जा रही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी व उसके भ्रातागण ने उप सचिव खान विभाग के यहॉ रिविजन संख्या 42/2002, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 4 जयपुर महानगर में वाद संख्या 88/2011, राजस्व मण्डल राजस्थान में प्रकरण संख्या 1221/2016, न्यायालय अपर सिविल जज(क.ख.) पूर्व जयपुर महानगर में वाद संख्या 530/2017 प्रकरण दर्ज करवा कर इस प्रकरण को उलझाऐ रखा व राज्य सरकार की राजस्व

संभागीय आयुक्त जयपुर

वसूली नही होने दी। इस प्रकार अपीलार्थी को पुरी स्थिति की जानकारी के बावजूद प्रस्तुत अपील में भी गलत तथ्य पेश किये गये है जो खारिज योग्य होने से अपील खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली की अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा अपीलार्थी फर्म के निरीक्षण पश्चात् अनेकों नोटिस दिये गये उसके उपरान्त भी अपीलार्थी द्वारा कोई रिकार्ड पेश नही किया गया तथा नोटिस की पालना नही किये जाने एवं नियमों को उल्लंघन किये जाने पर रायल्टी राशि की मांग कायमी की गई जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त बकाया वसूली की कार्यवाही की जा रही है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज की जाती है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।